



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 6 अगस्त, 2026

श्रावण 15, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-3

संख्या 1582/81-3-2026

लखनऊ, 6 अगस्त, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0आ0-454

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 218 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निदेश देते हैं कि पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) ऐसे वन अधिकारियों पर लागू होगी, जिन्हें वन संरक्षण या वन्य जीव संरक्षण, जब भी और जहाँ कहीं भी वे इस रूप में कार्य कर रहे हों, का प्रभार दिया जाय।

राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते हैं कि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 218 की उपधारा (2) के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे, मानों उक्त उपधारा में प्रयुक्त पद "केन्द्रीय सरकार" के स्थान पर पद "राज्य सरकार" रख दिये गये थे।

आज्ञा से,
वी० हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1582/LXXXI-3-2026 dated August 6, 2026 :

No. 1582/LXXXI-3-2026

Dated Lucknow, August 6, 2026

IN exercise of the powers under sub-section (3) of Section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023), the Governor is pleased to direct that sub-section (2) of the aforesaid section shall apply to such Forest Officers as are charged with protection of forest or protection of wildlife whenever and wherever they are serving as such.

The Governor is further pleased to direct that the provisions of sub-section (2) of Section 218 of the aforesaid Act will apply as if for the expression "Central Government" occurring in the said sub-section, the expression "State Government" were substituted.

By order,
V. HEKALI ZHIMOMI,
Pramukh Sachiv.